सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 09/17 निर्णय दिनांकः 28.06.2018

1. डूँगरसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राधादेवी पत्नि कुंभाराम जाति मेघवाल निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—12—2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—12—2014 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 155/34 में 18 बी बीघा 8 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/26 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/42 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/50 में 6 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 155/51 में 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर, मुरब्बा नम्बर 155/43 में 14 बीघा, मुरब्बा नम्बर 155/35 में 24 बीघा 5 बिस्वा तथा 155/27 में 10 बीघा कुल70 बीघा 17 बिस्वा कमण्ड व 16 बीघा 4 बिस्वा अनकमाण्ड कुल 87 बीघा 1 बिस्वा सामलाती खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा अर्थात 35 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड व 8 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही चक 8 जी.एम के मुरब्बा नम्बर 155/34 के किला नम्बर 1 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 2 में 5 बिस्वा कुल 17 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 2 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 3 ता 6 में 4 बीघा कुल 5 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 5 बीघा अनकमाण्ड व 17 बिस्वा कमाण्ड भूमि राजकीय भूमि है जो स्माल पेसच में आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर अपीलांट उक्त भूमि को बतौर स्मालपेच आवंटन कराना चाहता है। चूंकि उक्त भूमि अपीलांट के धारण की भूमि व मुरब्बें में ही निहित होने से अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है उनकी पुश्त पर आबाद मकान पर चस्पा किये जाने का नोट अंकित है। उक्त नोटिस किसी मौजूदगी में व कब चस्पा किये गये अथवा आवंटन पत्रावली में नोटिस चस्पांदगी के कोई आदेश पारित थे अथवा नहीं इस तथ्य की अदालत मातहत द्वारा कतई जॉच नहीं की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। स्मालपेच आवंटन के प्रार्थना पत्रों काी जॉच कर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम व रीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2014 में चक 8 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 155/34 की 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1

के अलावा अन्य आवेदक चम्पाकंवर पत्नी सुगनसिंह व जीतकंवर पत्नी जोगराजसिंह आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे।

अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार उनके धारण की भूमि की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट के धारण में अन्य आवदकों की तुलना में कम भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 8 जी. एम. के मुरब्बा नम्बर 155/34 की 5 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर चक 8 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 155/34 में 5 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय

नियम 1975 के नियम 14 के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 8 जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 155/34 की 5 बीघा 17 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण के मुरब्बें में निहित होने के कारण वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए आवंटन करवाया गया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की प्रति प्रस्तुत की गई है।

(4) प्रकरण में इसी प्रकार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा भी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अवगत कराया गया है कि अपीलांट ने भी अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है इस प्रकार अपीलांट भी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। **प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों के ही द्वारा अपने–अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों द्वारा Concealment of facts किया गया है।**

(5) इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों के ही द्वारा अपने अपने धारण की भूमि को छिपाया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व पक्षकारों के धारण की भूमि के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाती। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि अदालत मातहत पुनः सभी आवेदकों के धारण की भूमि की जॉच कर, पुनः तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

(6) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अदालत मातहत द्वारा अन्य आवेदकों को

नियमानुसार तामील भी नहीं करवाई गई है। केवल मात्र तामील की औपचारिकता पूर्ण करते हुए आवंटन की कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में हम इस निर्णय के माध्यम से यह आदेशित करना उचित समझते है कि अधिनस्थ न्यायालय वादगत् भूमि के स्माल पेच आवंटन से पूर्व सभी सक्षम व पात्र आवदकों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए व उक्त नोटिसों की विधिवत तामील सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि पक्षकारों का अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में जाने की प्रवृति को रोका जा सके।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—12—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी आवेदकों/पक्षकारों के धारण की भूमि की पुनः जॉच, तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर